

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 10 जून, 2025/20 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th August, 2024

No. SJE-B-B(12)-4/2014.—In supersession of this Department's notification of even number dated 20-04-2016 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to set up the Commission, 52- ্যাতাব্য / 2025–10–06–2025 (2531)

namely "The Himachal Pradesh State Commission for Scheduled Castes" in the State of Himachal Pradesh with its Headquarter at Una, to safeguard the interest of the Scheduled Castes in the State of Himachal Pradesh and to ensure effective implementation of policies, programmes and legislations intended for social-economic development of Scheduled Castes, to recommend remedial measures for their welfare and development. The constitution of the Commission, its term of office and powers and functions shall be as under, namely:—

- 1. Constitution of the Commission.—The State Government shall, by notification, constitute the Himachal Pradesh State Commission for Scheduled Castes with effect from such date as may be specified therein.
- **2.** Composition of the Commission.—(1) The Commission shall consist of the following Members, namely:—
 - (a) Chairperson, to be nominated by the State Government;
 - (b) three Non-Official Members, to be nominated by the State Government.
 - (c) the Director, Directorate of Empowerment of Scheduled Castes, Other Backward Classes, Minorities and Specially Abled, Himachal Pradesh as an ex-officio Member.
 - (d) Member Secretary, who shall be appointed by the Government from amongst the officers of the Himachal Pradesh Administrative Services, not below the rank of Deputy Secretary.
 - 3. Term of office and conditions of service of the Chairperson and the Members.—
- (1) The term of office of the Non-Official Members including Chairperson shall be three years:

Provided that no Chairperson or a Non-Official Member shall hold office for more than two terms:

- (2) Any of the Members including Chairperson of the Commission may, at any time, by writing to the State Government, resign from his office.
- (3) The State Government may remove Chairperson or Member from the Commission, if he-
 - (a) becomes an undischarged insolvent;
 - (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude;
 - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
 - (e) has in the opinion of the Government, so abused the position as Chairperson or Member so as to render that person's continuance in office detrimental to the public interest or of the Scheduled Castes:

Provided that no Member shall be removed under this Sub-clause until he has been given an opportunity of being heard;

- (f) without obtaining leave of absence from the Commission, absents himself from three consecutive meetings of the Commission; and
- (g) conducts himself in manner which is prejudicial to the public interest or against the established norms.
- (4) In the event of casual vacancy occurring by reason of death, resignation or removal of a Member including Chairperson or otherwise, shall be filled by fresh nomination and any person so nominated shall hold office for the remainder of the term in whose place he is so nominated.
- **4.** Qualifications for nomination as Chairperson and Non-Official Members.—The Chairperson and Non-Official Members shall be nominated from, amongst persons of ability, integrity and standing in society and who have served for the welfare and upliftment of the Scheduled Castes, having educational qualifications not below that of a graduate:

Provided that atleast two Non-Official Members including Chairperson shall be from Scheduled Castes categories:

Provided further that the Chairperson or atleast one member shall be a person having a law degree with ten years standing as an advocate:

Provided further that the Chairperson or atleast one member shall be a woman.

- **5.** Conditions of service of Chairperson and Non-Official Members.—The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairperson and Non-Official Members shall be such as may be determined by State Government.
- 6. Offices and other employees of the Commission and their terms and conditions of service.—(1) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees, as may be necessary for the efficient performance of the Commission.
- (2) The Commission shall have staff preferably on secondment basis from the State Government/Department and from the surplus pool of the State Government without sanctioning new posts and the instructions issued in this behalf from time to time by the State Government shall be followed.
- (3) The number of posts and service conditions of the staff of the Commission shall be such, as may be specified by the State Government.
- (4) The State Government shall provide necessary budget for the payment of salaries and allowances to the officers and employees of the Commission.
- 7. Procedure to be regulated by the Commission.—(1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.
 - (2) The Commission shall regulate its own procedure.
- **8.** Powers and functions of the Commission.—The Commission shall examine and monitor all matters relating to the safeguards provided under the Constitution and other statutes for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes. The Commission shall also make recommendations to the State Government for the effective implementation of all

safeguards for the members of Scheduled Castes community provided under different statutes and schemes.

- **9. Annual report.**—The Commission shall prepare for each financial year its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.
- 10. Finance, Accounts and Audit.—(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts to be forwarded annually to the State Government in consultation with the Accountant General, Himachal Pradesh.
- (2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission.
- (3) The Accountant General, Himachal Pradesh and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission shall have the same right and privileges and the authority in connection with such audit as the Accountant General, Himachal Pradesh generally has in connection with the audit of Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the office of the Commission.
- 11. Meeting and Disposal of Business.—(1) The Commission shall conduct meetings at its headquarters at Una or at any such place, as the Chairperson may deem fit, but the time period between its two consecutive meetings shall not exceed three months.
 - (2) The Commission shall dispose of its business in the following manner:—
 - (a) the minutes and proceedings of the meetings of the Commission shall be recorded by the Member-Secretary;
 - (b) the quorum for a meeting of the Commission shall be atleast three members including the Chairperson;
 - (c) the Commission shall have the authority to transact any business through circulation among the members;
 - (d) all decisions of the Commission shall be by majority with Chairperson having a second or casting vote in case of equal division;
 - (e) in the absence of the Chairperson, members present may elect a member from amongst them to preside over the meeting and the proceedings of such meeting shall be deemed to be proper and legal;
 - (f) all meetings of the Commission shall be convened by the Member-Secretary with the approval of the Chairperson;
 - (g) no proceedings of the Commission shall be invalidated by reason only of any defect in its constitution or on the ground of existence of any vacancy in the office of any Members; and
 - (h) all orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary.

12. The Chairperson, member and staff of the Commission to be public servants.— The Chairperson, members, officers and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Panel Code.

By order,

Sd/-(ASHISH SINGHMAR), Secretary (SJ&E).

In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

- Lokesh Singh s/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Bhamnoh, P.O. Bagwara, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) Pin-177 021.
- Tamana Kumari d/o Sh. Ashok Kumar, r/o Village Bharnot, P.O. Dughli, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. 177 029 . .Applicant.

Versus

General Public

<u>Subject.</u>— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Lokesh Singh s/o Tamana Kumari have filed an application u/s 5 of Special MarriagesAct, 1954 alongwith supporting affidavits and documents before the Court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 16-06-2025. In case no objection is received by 16-06-2025 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 17-05-2025.

Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM, Sub-Division, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

Seal.

Rajinder Pal s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Kotlu, P.O. Kakriar, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

<u>Subject</u>.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Rajinder Pal and Mamta Devi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith supporting affidavits and documents before the Court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 20-06-2025. In case no objection is received by 20-06-2025 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 16-05-2025.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-SDM, Sub-Division, Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Sanjeet Singh, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

- 1. Baldev Singh aged 47 years s/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Nag Lamber, P.O. Dhail, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
- 2. Kulwinder Kaur aged 35 years d/o Sh. Ralla Singh, r/o Shahbazpur, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Punjab-144 517. *Applicant*.

Versus

The General Public "Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Baldev Singh aged 47 years s/o Sh. Kehar Singh, r/o Village Nag Lamber, P.O. Dhail, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur and Kulwinder Kaur aged 35 years d/o Sh. Ralla Singh, r/o Shahbazpur, Shaheed Bhagat Singh Nagar, Punjab-144 517 and have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 26-03-2025 in their complex at Village Nag Lamber, P.O. Dhail, Tehsil

Sujanpur, District Hamirpur, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 16-06-2025. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-05-2025 under my hand and seal of the court. Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Sanjeet Singh, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

- 1. Neeraj Kumar aged 31 years s/o Sh. Dinesh Rangra, r/o Village & P.O. Charot, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
- 2. Sabu aged 26 years d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Bhalun, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. "Applicant.

Versus

The General Public Respondent.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Neeraj Kumar aged 31 years s/o Sh. Dinesh Rangra, r/o Village & P.O. Charot, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur and Sabu aged 26 years d/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Bhalun, P.O. Dangri, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 07-10-2024 in their complex at Village & P.O. Charot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-06-2025. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-05-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)

т	.1		C	
In	the	matter	α t	•
ш	uic	matter	O1	

Bhawani Singh

Versus

General Public

Notice to the General Public.

Bhawani Singh s/o Late Sh. Sher Jang, r/o Village Tikker, Post Office Bihru, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 07-04-1960 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Bijhari. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 07-04-1960, they can either in person or through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the issue of this publication, otherwise the matter shall be proceeded further accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 05-05-2025.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.)

In the matter of:

Ram Chand

Versus

General Public

Notice to the General Public.

Sh. Ram Chand s/o Shonu Ram, r/o Village & Post Office Sathwin, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Hamirpur (H.P.) has applied in this office for the entry of his date of birth which has taken place on 10-04-1964 but due to ignorance the same could not be entered in the record of Gram Panchayat Sathwin. The applicant in support of the facts of the event has submitted the requisite documents and the same have been perused accordingly.

General public is hereby informed through this notice that if anyone has any objection regarding the entry of date of birth of the applicant *i.e.* 10-04-1964, they can either in person or

through counsel can file their objections before the undersigned within 30 days from the date of issue of this notice, if no objection is received from any person regarding the date of birth which is 10-04-10-964 the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 05-05-2025.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

Before the Assistant Collector 2nd Grade, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh

Case No.: 112/2024 (Partition)

Versus

Smt. Kaushalya Devi & Ors.

. .Respondents.

Sh. Madan Lal s/o Sh. Mansha Ram, r/o Village Bakhroon, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

Take notice that the above mentioned Partition case has been filed by Shri Manohar Lal son of Sh. Mansha Ram, resident of Village Bakhroon, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P. in case No. 112/2024, which is pending for adjudication before this court and has been fixed for hearing on 26-06-2025 in the Court of Assistant Collector 2nd Grade-*cum*-Naib Tehsildar Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

Whereas, it is evident from the report of process server that the summons could not be served upon the above mentioned respondent in ordinary manner. Therefore, the above mentioned respondent is informed through this publication that he should appear before this court on 26-06-2025 (02.00 P.M.) either personally or through his authorized agent/pleader to defend his claim.

If no appearance is made on behalf of the respondent personally or though authorized agent/pleader, the matter will be heard and decided in his absence.

Issued under my Signature and the seal of the Court today the 19th May, 2025.

Seal. Sd/

Assistant Collector 2nd Grade,

Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

Before the Assistant Collector 2nd Grade, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh

Case No.: 110/2024 (Partition)

Versus

Smt. Kaushalya Devi & Ors.

. .Respondents.

To

Sh. Madan Lal s/o Sh. Mansha Ram r/o Village Bakhroon, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

Take notice that the above mentioned Partition case has been filed by Shri Manohar Lal son of Sh. Mansha Ram, resident of Village Bakhroon, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P. in case No. 110/2024, which is pending for adjudication before this court and has been fixed for hearing on 26-06-2025 in the Court of Assistant Collector 2nd Grade-*cum*-Naib Tehsildar Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

Whereas, it is evident from the report of process server that the summons could not be served upon the above mentioned respondent in ordinary manner. Therefore, the above mentioned respondent is informed through this publication that he should appear before this court on 26-06-2025 (02.00 P.M.) either personally or through his authorized agent/pleader to defend his claim.

If no appearance is made on behalf of the respondent personally or though authorized agent/pleader, the matter will be heard and decided in his absence.

Issued under my Signature and the seal of the Court today the 19th May, 2025.

Seal. Sd/

Assistant Collector 2nd Grade, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

Before the Assistant Collector 2nd Grade, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh

Case No.: 111/2024 (Partition)

Versus

To

Sh. Madan Lal s/o Sh. Mansha Ram r/o Village Bakhroon, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.

Take notice that the above mentioned Partition case has been filed by Shri Manohar Lal son of Sh. Mansha Ram, resident of Village Bakhroon, P.O. Dhaneta, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur, H.P. in case No. 111/2024, which is pending for adjudication before this court and has been fixed for hearing on 26-06-2025 in the Court of Assistant Collector 2nd Grade-*cum*-Naib Tehsildar Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

Whereas, it is evident from the report of process server that the summons could not be served upon the above mentioned respondent in ordinary manner. Therefore, the above mentioned respondent is informed through this publication that he should appear before this court on 26-06-2025 (02.00 P.M.) either personally or through his authorized agent/pleader to defend his claim.

If no appearance is made on behalf of the respondent personally or though authorized agent/pleader, the matter will be heard and decided in his absence.

Issued under my signature and the seal of the Court today the 19th May, 2025.

Seal.

Sd/

Assistant Collector 2nd Grade, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 07 / C / 2025

किरम मुकद्दमाः दुरुस्ती इन्द्राज

संतोष कुमारी पुत्री सरदूल सिंह, निवासी डोली कलां, मौजा व उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

संतोष कुमार पुत्री सरदूल सिंह, निवासी डोली कलां, मौजा व उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय / न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसकी माता का नाम आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र आदि में सही नाम रोमा देवी सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा व कोठी इन्तकाल तस्दीक करते समय नाम श्रीमती अति देवी दर्ज है जोिक गलत है। आवेदिका इसे राजस्व अभिलेख के उपरोक्त महालों में श्रीमती रोमा देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13–06–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार, जिला कांगडा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 09 / BDR / 2025

किरम मुकद्दमाः जन्म / मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती रीना देवी देवी पुत्री मंगत राम, निवासी ननबाड, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

श्रीमती रीना देवी देवी पुत्री मंगत राम, निवासी ननबाड, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 13—03—1967 को महाल ननबाड, उप—तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 13—06—2025 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08 / BDR / 2025

किरम मुकद्दमाः जन्म / मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती रीना देवी देवी पुत्री रतन चंद, निवासी महाल बन भुलाना, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

श्रीमती रीना देवी देवी पुत्री रतन चंद, निवासी महाल बन भुलाना, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 27—01—1985 को महाल बन भुलाना, उप—तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 13—06—2025 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

स्वर्ण सिंह सुपुत्र श्री चतर सिंह, गांव व डाकघर खडानाल बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता खडानाल

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु / जन्म पंजीकरण बारे।

स्वर्ण सिंह सुपुत्र श्री चतर सिंह, गांव व डाकघर खडानाल बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 18—06—1959 को ग्राम पंचायत खडानाल में हुआ था जोकि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधाराण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपित हो तो वह दिनांक 13—06—2025 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपित दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 14-06-2025

सूती प्रकाश पुत्र श्री शम्भू, निवासी गांव भेडी उपरली व डाकघर भेडी एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव भेडी उपरली व डाकघर भेडी एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव भेडी उपरली व डाकघर भेडी एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूती प्रकाश पुत्र श्री शम्भू, निवासी गांव भेडी उपरली व डाकघर भेडी एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 01—03—1993 को गांव भेडी उपरली व डाकघर भेडी, उप—तहसील आलमपुर में हुई है, लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बालकरूपी में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी सूती प्रकाश पुत्र श्री शम्भू की माता की मृत्यु दिनांक 01–03–1983 को ग्राम पंचायत बालकरूपी में पंजीकरण करने में कोई आपित या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 14–06–2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 14-06-2025

बलवीर राम पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव भलुंदर, डाकघर लाहडु एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव मोहाल भलुंदर एवं उप–तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल भलुंदर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में बलवीर राम पुत्र श्री सीता राम, निवासी गांव भलुंदर, डाकघर लाहडु एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम बलवीर राम है परन्तु महाल भलुंदर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रींकू है जोिक गलत है, जबिक प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों पर बलवीर राम अंकित है। प्रार्थी महाल भलुंदर, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम रींकू उपनाम बलवीर राम पंजीकरण करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 14—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं0 : 06 / 2025

तारीख पेशी : 16-06-2025

नीलम कुमारी पुत्री कुशल सिंह, निवासी गांव बलभूरिया, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघाट, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.——जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र। इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी।

प्रार्थिया नीलम कुमारी पुत्री कुशल सिंह, निवासी गांव बलभूरिया, डाकघर वैरघाट, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघाट, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05—10—1975 को गांव वलभूरिया, ग्राम पंचायत वैरघाट में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत वैरघाट को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त नीलम कुमारी के जन्म तिथि 05–10–1975 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपित्त या उजर है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15–06–2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त नीलम कुमारी की जन्म तिथि 05–10–1975 के पंजीकरण करने के आदेश उप—स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत वैरघाट को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15-05-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Smt. Kusam Lata d/o Shri Sidhu Ram, r/o Village Tangroti, Post Office Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Kusam Lata d/o Shri Sidhu Ram, r/o Village Tangroti, Post Office Ramerh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सिहत मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Kusam Lata d/o Shri Sidhu Ram का जन्म दिनांक 23—11—1957 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Kusam Lata के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Shri Dalti Ram s/o Late Sh. Rumi Ram, r/o Mohli Lahara Di, P.O. Khaniayra, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shri Dalti Ram s/o Late Sh. Rumi Ram, r/o Mohli Lahara Di, P.O. Khaniayra, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सिहत मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी mother Kalo Devi w/o Rumi Ram का जन्म/मृत्यु दिनांक 03—05—1974 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Kalo Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमाः तकसीम

अंजु बाला पत्नी सुभाष चंद @ सुभाष सिंह, निवासी पुत्र प्रताप चंद, निवासी महाल घ्रोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. दलिपा Through LRS a. रमेश चंद, b. वीर सिंह, c. रिव कुमार पुत्र व d. पुन्या देवी, e. कृष्णा देवी विधवा दलीपा पुत्र गुलाबू, 2. विशनी देवी पुत्री कोफू देवी, निवासी महाल घरोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, 3. दुर्गा देवी पुत्री व 4. सरनू, 5. परषोतम चंद पुत्र श्यामा, निवासी महाल घरोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, 6. बलबीर सिंह पुत्र व 7. श्रीमती सेना देवी पुत्री गोरजू, निवासी महाल मैट्टी, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.——तकसीम भूमि खाता नं0 184, खतौनी नं0 258, खसरा कित्ता 11, रकबा तादादी 14—34 है0, वाक्या महाल घरोह, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया अंजु बाला पत्नी सुभाष चंद @ सुभाष सिंह, निवासी पुत्र प्रताप चंद, निवासी महाल घ्रोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्त्री मुनादी / इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17—06—2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 105 / 24

किरम मुकद्दमाः तकसीम

अंजु बाला पत्नी सुभाष चंद @ सुभाष सिंह, निवासी पुत्र प्रताप चंद, निवासी महाल घ्रोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, हि० प्र०।

बनाम

1. दलिपा Through LRS a. रमेश चंद, b. वीर सिंह, c. रवि कुमार पुत्र व d. पुन्या देवी, e. कृष्णा देवी विधवा दलीपा पुत्र गुलाबू, 2. विशनी देवी पुत्री कोफू देवी, निवासी महाल घरोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, 3. दुर्गा देवी पुत्री व 4. सरनू, 5. परषोतम चंद पुत्र श्यामा, निवासी

महाल घरोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 6. बलबीर सिंह पुत्र व 7. श्रीमती सेना देवी पुत्री गोरजू, निवासी महाल मैट्टी, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 211, खतौनी नं0 257, खसरा नं0 694, रकबा तादादी 00—04—24 है0, वाक्या महाल घरोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, हि0 प्र0।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया अंजु बाला पत्नी सुभाष चंद @ सुभाष सिंह, निवासी पुत्र प्रताप चंद, निवासी महाल घ्रोह खास, मौजा घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्त्री मुनादी/इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17—06—2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 17-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

केस नं0 : 82 / 23 / तह0

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमाः तकसीम

इश्तहार राजपत्र

कुमारी शगुन पुत्री व श्रीमती नीना थापा पत्नी सुरेश कुमार पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी महाल ब्रेह मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. श्रीमती शुभकरण, 2. गुरबचन, 3. तोता, 4. बिल्ला पुत्र व 5. गीतो पुत्री दिगति, 6. दीना नाथ, 7. पुनु पुत्र प्रबल, 8. मितर सिंह, 9. राज कुमार, 10. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 11. बिमला देवी, 12. पिनकी देवी पुत्रियां व 13. अनाथों देवी पत्नी रोशी कला, 14. रमेश चंद पुत्र व 15. गिमलों, 16. सोमा, 17. अंजु पुत्रियां व 18. माया देवी विधवा अनिरुद्ध, 19. शक्षम, 20. काविर पुत्र व 21. प्रवीना विधवा कुलदीप, 22. प्रवीण कुमार पुत्र 23. सुमना देवी, 24. सपना देवी पुत्रियां, 25. सुदर्शना देवी पत्नी जगो, 26. शांति पत्नी दिल्लों, 27. ओमी पुत्र व 28. हालो, 29. मिस्सो पुत्रियां व 30. गणपत पुत्र दास, 31. कमलेश कुमार पुत्र प्रकाश चंद, 32. भीम सैन, 33. प्यारे लाल, 34. होशियार सिंह, 35. सुरेश कुमार पुत्र व 36. संध्या देवी, 37. सग्रान्धु, 38. कुंतों देवी पुत्रियां ठाणु, 39. गुरबचन पुत्र व 40. व्यासो देवी पुत्री मगजी, 41. रघुबीर सिंह पुत्र व 42. कुंतों देवी विधवा जिद्दी, 43. चुनी, 44. बिशन दास, 45. हाडु पुत्र, 46. कमलों, 47. सत्या पुत्रियां आत्मा राम, 48. राकेश कुमार, 49. विजय कुमार पुत्र व 50. पवना कुमारी पुत्री व 51. तिलकों देवी विधवा रंगी, 52. निशा पुत्री जिद्दी, 53. किशोरी लाल पुत्र चतर सिंह, 54. बिमला देवी पत्नी विक्रम सिंह, निवासीयान महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं० ६, खतौनी नं० १७ ता १९, खसरा कित्ता ८, रकबा तादादी ००—४२—९६ है०, महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, हि० प्र०।

प्रार्थिया कुमारी शगुन व श्रीमती नीना थापा पत्नी सुरेश कुमार पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी महाल ब्रेह मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 द्वारा तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे ने प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित तकसीम भूमी की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17—06—2025 को असालतन या बकालतन हाजिर बदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम सम्बन्धी तरीका तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमाः तकसीम

चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली—लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

सत्या देवी विधवा परषोतम चंद, 2. दीना, चोकस राम पुत्र गरीबा, निवासी गांव नड्डी खडौता, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०, ४. सुमना कुमारी पुत्र छजु, निवासी महाल चटेहड़, पोस्ट ऑफिस योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 5. डिंपल कुमारी पुत्री छज्, निवासी गांव व डाकखाना राख, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 6. व्यासो देवी विधवा छज्, निवासी महल नड्डी खड़ोता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 7. भगवान दास पुत्र चुहुँडू, निवासी महाल मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, ८. समंगला देवी पुत्री गुरिया, निवासी लोअर सुधेड़, पोस्ट ऑफिस सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 9. मूल राज, 10. अनूप पुत्र व 11. नीलम पुत्री व 12. सिमरो देवी विधवा रिखिया, निवासी महाल खडोता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, 13. जगदीश, 14. विजय पुत्र जेशी राम, निवासी महाल खड़ोता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 15. रमेश, 16. मदन पुत्र खजाना, निवासी मोहली लाहडा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, 17. दुनी चंद, 18. कल्याण चंद पुत्र चमारु, निवासी महाल मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, 19. माली राम पुत्र चमारु, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, 2ि0. आशों देवी पुत्री चमारु, निवासी बागोतला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०, 21. गुजरो देवी पुत्री चमारु, निवासी गांव बदसर पोस्ट ऑफिस जिया, तहसील पालमपुर, 22. पुष्पा देवी पत्नी मदन लाल, निवासी गांव व डाकखाना शाहपुर, तहसील शाहपुर, 23. सुभद्रा देवी पत्नी तरसेम सिंह, निवासी गांव धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, 24. शक्तंला देवी पुत्री परताप, निवासी मोहली लाहडा दी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, हि०प्र०।

विषय.——प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 55 ता 56, खसरा नं0 21 व 77/1, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—03—96 है0, वाक्या महाल मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की तकसीम करने बारे।

प्रार्थना—पत्र.—चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली—लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मश्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमाः तकसीम

चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली—लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. सत्या देवी विधवा परषोतम चंद, 2. दीना, चोकस राम पुत्र गरीबा, निवासी गांव नड्डी खडौता, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 4. सुमना कुमारी पुत्र छजु, निवासी महाल चटेहड़, पोस्ट ऑफिस योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 5. डिंपल कुमारी पुत्री छजु, निवासी गांव व डाकखाना राख, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 6. व्यासो देवी विधवा छजु, निवासी महल नड्डी खड़ोता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 7. भगवान दास पुत्र चुहुँडु, निवासी महाल मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, ८. समंगला देवी पुत्री गुरिया, निवासी लोअर सुधेड़, पोस्ट ऑफिस सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 9. मूल राज, 10. अनूप पुत्र व 11. नीलम पुत्री व 12. सिमरो देवी विधवा रिखिया, निवासी महाल खड़ोता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 13. जगदीश, 14. विजय पुत्र जेशी राम, निवासी महाल खड़ोता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 15. रमेश, 16. मदन पुत्र खजाना, निवासी मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०, 17. दूनी चंद, 18. कल्याण चंद पुत्र चमारु, निवासी महाल मोहली लाहडा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०, १९. माली राम पुत्र चमारु, निवासी महाल खड़ौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, 20. आशों देवी पुत्री चमारु, निवासी बागोतला, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि०प्र०, 21. गुजरो देवी पुत्री चमारु, निवासी गांव बदसर पोस्ट ऑफिस जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 22. पुष्पा देवी पत्नी मदन लाल, निवासी गांव व डाकखाना शाहपुर, तहसील शाहपुर, 23. सुभद्रा देवी पत्नी तरसेम सिंह, निवासी गांव धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, 24. शकुंतला देवी पुत्री परताप, निवासी मोहली लाहड़ा दी, तहसील धर्मशाला. जिला कांगडा, हि०प्र०।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं० ७, खतौनी नं० ७, खसरा नं० २९९, ३००, कित्ता २, रकबा तादादी ००—०१—१३ है०, वाक्या महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र० की तकसीम करने बारे।

प्रार्थना—पत्र.——चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली—लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मश्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

कुकला देवी पुत्री श्री खिन्दू राम, निवासी गांव व डाकघर भटटू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुकला देवी पुत्री श्री खिन्दू राम, निवासी गांव व डाकघर भटटू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01—01—1977 को गांव व डाकघर भटटू में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18–06–2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 13-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

सीमा पुत्री श्री अमर नाथ, निवासी गांव व डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सीमा पुत्री श्री अमर नाथ, निवासी गांव व डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01—07—1966 को गांव व डाकघर सन्साल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19–06–2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 13-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ओम प्रकाश पुत्र श्री लखा राम, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ओम प्रकाश पुत्र श्री लखा राम, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 20—12—1964 को गांव व डाकघर उस्तेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19–06–2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रीता देवी पुत्री श्री सोवन राम, निवासी गांव वाडी, डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रीता देवी पुत्री श्री सोवन राम, निवासी गांव वाडी, डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 01—01—1983 को गांव वाडी, डाकघर बीड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05–07–2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 21-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

निर्मला देवी पुत्री श्री लाला राम, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

निर्मला देवी पुत्री श्री लाला राम, निवासी गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 13—01—1956 को गांव लंघू, डाकघर गान्धीग्राम में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05–07–2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 21-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 12 / 2025

तारीख पेशी : 19-06-2025

श्रीमती भगवती देवी पुत्री अच्छरू हाल पत्नी हरीश चन्द, निवासी गणखेतर, डाकघर व तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर श्रीमती भगवती देवी पुत्री अच्छरू हाल पत्नी हरीश चन्द, निवासी गणखेतर, डाकघर व तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भगवती देवी पुत्री अच्छरू पुत्र चेतू है परन्तु महाल अन्दरली महाल के राजस्व अभिलेख में डूमणी पुत्री अच्छरू चेतू दर्ज हुआ है जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके डूमणी उपनाम भगवती देवी पुत्री अच्छरू पुत्र चेतू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19–06–2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 13 / 2025

तारीख पेशी : 19-06-2025

श्री कम्पा राम पुत्र दुआना राम, निवासी बड़ाभंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.--राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर कम्पा राम पुत्र दुआना राम, निवासी बड़ाभंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड तथा अन्य सभी दस्तावेजों में कम्पा राम पुत्र दुआना पुत्र पियुन्दी है परन्तु महाल बड़ाभंगाल के राजस्व अभिलेख में कैम्पा राम पुत्र दुआना पुत्र पियुन्दी दर्ज हुआ है जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके कम्पा राम पुत्र दुआना पुत्र पियुन्दी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19–06–2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी / तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 21-05-2025

तारीख पेशी : 19-06-2025

उनवाद.--पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करना।

श्रीमती भागो देवी पुत्री दमोदर राम, गांव व डाकघर कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.——बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–01–1975 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है व अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 19—06—2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री Lobsang Thutop s/o Sh. Dawa Tsering and Mrs. Khando Lhakyi at present residing of Nirling Cafe, Near Budda House, Temple Road, Norbulingka, Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Lobsang Thutop s/o Sh. Dawa Tsering and Mrs. Khando Lhakyi at present residing of Nirling Cafe, Near Budda House, Temple Road, Norbulingka, Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी Self Lobsang Thutop s/o Sh. Dawa Tsering and Mrs. Khando Lhakyi का जन्म/मृत्यु दिनांक 15—08—1983 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Lobsang Thutop के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर

अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० / 2025

Sh. Anil Mankotia s/o Sh. K.S. Mankotia, r/o V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Anil Mankotia s/o Sh. K.S. Mankotia, r/o V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सिहत मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Mother Kusum Mankotia w/o K.S. Mankotia का जन्म/मृत्यु दिनांक 21—03—2001 को हुआ है, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Kusum Mankotia के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23—06—2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किरम मुकद्दमा : दुरुस्ती

पवन नागपाल बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.——1. पवन नागपाल पुत्र विरेन्दर नागपाल, निवासी वार्ड नं0 2, पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रार्थी ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र पेश किया है। प्रार्थना—पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि मेरा नाम पवन कुमार नागपाल है। जबकि मैंने अपना नाम पवन कुमार नागपाल से बदलकर पवन नागपाल कर लिया है। अतः ई—राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पवन नागपाल है।

आज दिनांक 23-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 17 / तह0 / 2025

किरम मुकद्दमा : शादी पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-06-2025

1. विकेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, गांव व डाकघर लोअर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता, महाल हारसी, ग्राम पंचायत लम्वागांव

·· प्रतिवादीगण।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे। मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थी विकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश, गांव व डाकघर लोअर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र ब्यान हिल्फया व अन्य दस्तावेजों सिहत इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 09—11—2023 को नेहा मैहरा पुत्री श्री राकेश कुमार मैहरा, गांव नजदीक सिमिति ग्राऊंड, वार्ड नं0 3, हाऊस नं0 714, कांगड़ा (टी) 176 001, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के साथ हिन्दु रीति—रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत लम्वागांव में दर्ज नहीं करवा सके थे। जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 23—06—2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में बाद में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के ग्राम पंचायत सचिव लम्वागांव को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

व अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 34 / एन0टी0/2025

तारीख पेशी : 13-06-2025

श्री तुफैल मुहम्मद पुत्र श्री अमामदीन, निवासी गांव डडोह, डाकघर ढावन, तहसील बलह, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेत्।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तुफैल मुहम्मद पुत्र श्री अमामदीन, निवासी गांव डडोह, डाकघर ढावन, तहसील बलह, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसका जन्म दिनांक 01—07—1980 को गांव दीनक, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में हुआ है किन्तु किसी कारणवश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव में न हो सका। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिए जायें।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 13—06—2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपित्त या एतराज हो तो वह दिनांक 13—06—2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपित्त दर्ज करवा सकता है। गैर—हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थिया का जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

व अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 35 / एन0टी0/2025

तारीख पेशी : 13-06-2025

श्रीमती खजीता बीबी पुत्री मुहम्मद हुसैन पुत्र तुफैल मुहम्मद, निवासी गांव डडोह, डाकघर ढावन, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती खजीता बीबी पुत्री मुहम्मद हुसैन पुत्र तुफैल मुहम्मद, निवासी गांव डडोह, डाकघर ढावन, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसका जन्म दिनांक 01—07—1962 को गांव दीनक, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में हुआ है किन्तु किसी कारणवश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव में न हो सका। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिए जायें।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 13—06—2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपित्त या एतराज हो तो वह दिनांक 13—06—2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपित्त दर्ज करवा सकता है। गैर—हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थिया का जन्म का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

In the Court of Oshin Sharma, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

- 1. Sh. Gourav Sood aged about 43 years s/o Sh. Satish Kumar, r/o Swarn Bindu Building Nabha Estate, Shimla-171 004, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
- 2. Smt. Pinki Sood aged about 42 years d/o Sh. Subhash Chand Sood, r/o Ward No. 9, Chobatta Mohalla, Sujanpur Tihra, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under special Marriages Act, 1954.

Sh. Gourav Sood aged about 43 years s/o Sh. Satish Kumar, r/o Swarn Bindu Building Nabha Estate, Shimla-171 004, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Pinki Sood aged about 42 years d/o Sh. Subhash Chand Sood, r/o Ward No. 9, Chobatta Mohalla, Sujanpur Tihra, District Hamirpur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 26-01-2014 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 02-07-2025 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 3rd June, 2025.

Seal

Sd/ (OSHIN SHARMA HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

In the Court of Oshin Sharma, HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

- 1. Sh. Simrat Pal aged about 38 years s/o Late Sh. Gurdyal Chand, r/o House No. 123, Sunder Building Krishna Nagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
- 2. Smt. Barnali Nath aged about 34 years d/o Late Sh. Dhiren Ch Nath, r/o National Highway 15, Dakhin Chuburi Darrang, Assam-784145.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under special Marriages Act, 1954.

Sh. Simrat Pal aged about 38 years s/o Late Sh. Gurdyal Chand, r/o House No. 123, Sunder Building Krishna Nagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Barnali Nath aged about 34 years d/o Late Sh. Dhiren Ch Nath, r/o National Highway 15, Dakhin Chuburi Darrang, Assam-784145 have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 29-01-2022 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 02-07-2025 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 3rd June, 2025.

Sd/ PAS),

(OSHIN SHARMA HPAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

Seal

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

T	41	4.4	C	
ın	the	matter	α t	٠
ш	uic	manci	$\mathbf{v}_{\mathbf{I}}$	

Sh. Hiun Nath s/o Late Sh. Gian Sukh, r/o Village Ghartoon, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H. P.) . . . *Applicants*.

Versus

General Public ... Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Hiun Nath s/o Late Sh. Gian Sukh, r/o Village Ghartoon, P.O. Pekha, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of death of Raimali 10-01-2002 in the record of Birth & death Register, of Gram Panchayat Pekha.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to entry the date of death of Raimali 10-01-2002, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 8th May, 2025.

Seal. Sd/-

(DHARMESH KUMAR, H.A.S.). Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.).

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.)

In the matter of:

Sh. Roshan Lal s/o Sh. Totu Ram, r/o Village Munchara, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla (H. P.) . . . Applicants.

Versus

General Public ... Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Roshan Lal s/o Sh. Totu Ram, r/o Village Munchara, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of death of Bhatuli 14-05-1984 in the record of Birth & Death Register, of Gram Panchayat Munchara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to entry the date of death of Bhatuli 14-05-1984, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 8th May, 2025.

Seal.

Sd/
(DHARMESH KUMAR, H.A.S.),

Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla (H. P.).

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.)

In the matter of:

Sh. Gopal s/o Sh. Dhruv Chand, r/o V.P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Gopal s/o Sh. Dhruv Chand, r/o V.P.O. Karasa, Tehsil Rohru, District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth his daughter Manvi 08-09-2009 in the record of Birth & Death Register of Gram Panchayat Karasa.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to entry the date of birth of Manvi 08-09-2009, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 8th May, 2025.

Seal.

(DHARMESH KUMAR, H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.).

Sd/-

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.)

In the matter of:

Smt. Nisha w/o Sh. Manoj Kumar, r/o Village Jakhi, P.O. Khashdhar, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H. P.) . . . Applicants.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Nisha w/o Sh. Manoj Kumar, r/o Village Jakhi, P.O. Khashdhar, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son Abhinav 29-06-2012 in the record of Birth & Death Register of Gram Panchayat Khashadhar.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to entry the date of birth of Abhinav 29-06-2012, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 8th May, 2025.

Seal. Sd/-

(DHARMESH KUMAR, H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.).

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.)

In the matter of:

Sh. Niranjan s/o Late Sh. Saran Dass, r/o Village Daroti, P.O. & Tehsil Tikkar, District Shimla (H. P.)

Versus

General Public ... Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Niranjan s/o Late Sh. Saran Dass, r/o Village Daroti, P.O. & Tehsil Tikkar, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son Maanvik 24-08-2020 in the record of Birth & Death Register of Gram Panchayat Tikkar.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to entry the date of birth of Maanvik 24-08-2020, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 21st May, 2025.

Seal. Sd/-

(DHARMESH KUMAR, H.A.S.). Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.).

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

In the matter of:

Ms. Meena Devi d/o Sh. Balak Ram, r/o Village Bharetly, P.O. Kutara, Tehsil Rohru, District Shimla (H. P.) . . . Applicants.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Ms. Meena Devi d/o Sh. Balak Ram presently w/o Sh. Jagbir Singh, r/o Village & P.O. Jharag, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of Meena Devi 11-05-1978 in the record of Birth & Death Register of Gram Panchayat Dalgaon.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to entry the date of birth of Meena Devi 11-05-1978, they should appear before

the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 14th May, 2025.

Seal.

Sd/
(DHARMESH KUMAR, H.A.S.),

Sub-Divisional Magistrate,

Rohru, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.)

In the matter of:

Sh. Udesh Kumar s/o Late Sh. Sohan Lal, r/o Village & P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla (H. P.) . . . Applicants.

Versus

General Public ... Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Udesh Kumar s/o Late Sh. Sohan Lal, r/o Village & P.O. Sheel, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of death of his mother Manki Devi 16-08-2008 in the record of Birth & Death Register of Gram Panchayat Sheel.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to entry the date of death of Manki Devi 16-08-2008, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 21st May, 2025.

Seal. Sd/(DHARMESH KUMAR, H.A.S.).

Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H. P.).

CHANGE OF NAME

I, Vinod Sharma, r/o V. P.O. Balikoti, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that the name of my son Samarthak Sharma born on 27-05-2014 is wrongly recorded as Saksham Sharma in the Aadhar Card No. 8202 3070 1120. It should be corrected and changed to Samarthak Sharma.

VINOD SHARMA, r/o V. P.O. Balikoti, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Roop Lal s/o Sh. Bir Singh, r/o Village Shukad, P.O. Gadagusain, Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.)-175 123 aged 33 years declare that in Aadhar Card of my minor daughter Reeya age 9 year, her name is wrongly entered as Rita Verma instead of Reeya and she shall hereafter be known as Reeya. All concerned note it.

ROOP LAL s/o Sh. Bir Singh, r/o Village Shukad, P.O. Gadagusain, Tehsil Balichowki, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Subhdra w/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Dharech, Tehsil Theog (215), Dharech, Shimla (H.P.)-171209 declare that I have changed my name from Roshani (Old Name) to Subhdra (New Name). All concerned please may notice.

SUBHDRA w/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Dharech, Tehsil Theog (215), Dharech, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhim Thapa (New Name) s/o Sh. Rattan, r/o Village Dhenda, P.O. Totu, Tehsil Shimla (R), District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Soni Bhim Ratan (Old Name) to Bhim Thapa (New Name). All concerned please may notice.

BHIM THAPA s/o Sh. Rattan, r/o Village Dhenda, P.O. Totu, Tehsil Shimla (R), District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Army No. 13771055A Rank HAV Hoshiyar Singh, Unit 20 JAK RIF s/o Sh. Hari Singh, r/o Village Satahan, P.O. Lagdhar, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) declare that I want to correct my Mother's name as Kamli Devi to Ram Kali in my Army service record *vide* Affidavit No. IN-HP46685457393177X. All note.

Army No. 13771055A Rank HAV HOSHIYAR SINGH, Unit 20 JAK RIF, s/o Sh. Hari Singh, r/o Village Satahan, P.O. Lagdhar, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).